[Shri J. B. Patnaik]

under section 185 of the Navy Act, 1957:—

(1) The Navy Leave (Second Amendment) Regulations, 1976, published in Notification No. S.R.O: 108 in Gazette of India dated the 1st May, 1976.

(2) The Navy (Pension) Second Amendment Regulations, 1976, published in Notification No. S.R.O. 108 in Gazette of India dated the 8th May, 1976.

(3) The Navy (Pension) Third Amendment Regulations, 1976, published in Notification No. S.R.O. 109 in Gazette of India dated the 8th May, 1976.

(4) The Navy (Pension) Fourth Amendment Regulation, 1976, published in Notification No. S.R.O. 114 in Gazette of India dated the 8th May, 1976. [*Placed in Library. See* No. LT-10875/76].

ANNUAL REPORT OF D.V.C. FOR 1972-73 WITH AUDIT REPORT AND STATEMENT FOR DELAY

**ऊर्जा मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति उसके लेखे पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[*Placed in Library. See* No. LT-10876/76].

NOTIFICATIONS UNDER EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT, 1963

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963:—

(i) The Export of Footwear (Inspection) Amendment Rules, 1976, published in Notification No. S.O. 1536 in Gazette of India dated the 1st May, 1976.

(ii) The Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Second Amendment Rules, 1976, published in Notification No. S.O 1537, in Gazette of India dated the 1st May, 1976.

(iii) The Export of Gum Karaya (Inspection) Amendment Rules 1976, published in Notification No. S.O. 1538 in Gazette of India dated the 1st May, 1976. [*Placed in Library. See* No. LT-10877/76].

---

**11.03 hrs.**

MASSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 18th May, 1976, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Central and Other Societies (Regulation) Bill, 1974:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Central and Other Societies (Regulation) Bill, 1974, be further extended upto the last day of the Ninety-seventh Session of the Rajya Sabha."'

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure

and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 1976, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

---

## COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

### SIXTEENTH REPORT

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): I beg to present the Sixteenth Report of the Committee on Government Assurances.

---

**11.04 hrs**

## WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Raghunatha Reddy on the 18th May, 1976, namely:—

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted for this Bill is two hours; time alredy taken is thirty minutes, the balance is one hour and thirty minutes.

**श्री राम सिंह भाई** (इंदौर) : श्रीमन्, जो संशोधन सदन में लाया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने यह ठीक ही कहा था कि यह संशोधन निर्विवाद है और इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है । दर असल चीज बहुत अच्छी है, इसमें आलोचना करने की कोई गुंजायश नहीं है—इस बात को मैं हृदय से मानता हूं । फिर भी कुछ बातें इसके बारे में कही गई है जिनपर मंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए । इस मामले में मेरा जो विरोध है वह केवल एक ही है । जब से वेतन बढने लगीं और वेतन के साथ साथ प्राइसेज बढ़ने लगे और उस समय 5 सौ रुपए से ज्यादा भी श्रमिकों के वेतन हुए तो उसी समय कंसल्टेटिव कमेटी में हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि ई एस आई और कम्पनसेशन एक्ट में संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है । जब 5 सौ रुपये से ज्यादा रकम मजदूरों को मिलती है और एक्सीडेंट होते हैं, उनकी जान भी जाती है तो उनको मुआविजा नहीं मिलता है । यह सवाल जनवरी, 1974 में उठा था । उसका कारण यह था कि अहमदाबाद में ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए । इसी तरह से बम्बई में भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए । यह मैं डीयर्नेस एलाउन्स की बात नहीं कर रहा हूं । उनके बेसिक वेतन में ही इतनी बढ़ोतरी हुई । इसी तरह से साउथ इंडिया में सारा डीयर्नेस अलाउन्स का रेट चेंज किया गया । इस तरह वहां भी 5 सौ से ज्यादा मिलने पर जो लोग दुरघटना के कारण मरे उनको मुआविजा नहीं मिला मैंने इस सवाल को बार बार उठाया ।

उसके बाद अब यह संशोधन यहां पर आया है । माननीय मंत्री जी ने अपने एस्टेटमेंट में कहा है कि इसका अमल अक्तूबर, 1975 से किया जायेगा । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1975 से ही